न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—14 सन् 2011

रामदेयाल राय.....वादी।

बनाम

रामउचित राय वो अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांक—21.12.2022

प्रतिवादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 06 नियम 17 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 28.03.2019 को दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि मोकदमा हाजा में सर्वे जानकार अधिवक्त आयुक्त द्वारा तकरारी एराजी में प्रतिवादी शिव मुनि कुंअर उनके वारिसान द्वारा अतिकमित किया गया है जिसकी जानकारी सर्वे जानकार अधिवक्ता के प्रतिवेदन के पढ़ने वो समझने पर दिनांक 31.01.2019 को वादी के अधिवक्ता द्वारा दी गई। वारिसान द्वारा तकरारी प्लॉट अंदर सिडियुल नं0 01 अर्जीनालिस में 20 कड़ी X 40 कड़ी। अतिकमित एराजी का तफसील अंदर सिडियुल नं0 02 में दी जाती है। अंदर सिडियुल नं0 01 अर्जीनालिश का अंश है। वास्ते न्यायालय अतिकमित एराजी मजकुर का वादी के दखल कब्जा में होना अपेक्षित है। ऐसा नहीं होने से वादी को अपूर्णिय क्षति है। अतिकमित एराजी अंदर सिडियुल नं0 02 अर्जीनालिश बजरिये आदेश अदालत सर्वे जानकार अधिवक्ता या हलेकार अदालत वादी का दखल कब्जा बदस्तुर का होना वास्ते न्याय अपेक्षित है। दादरसी नं0 01 के जैल में दादरसी नं0 02 जोड़ दिया जाए कि एराजी तकरारी अनुसार सिडियुल नं0 02 अर्जीनालिश पर बजरिए अदालत के अहलेकार या सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त वादी का दखल कब्जा करा दिया जाए। एराजी अतिकमित का मूल्य मो0 2500/—रूपया है जिसे मूल मोकदमा में दिया जाए। तकरारी एराजी अंदर सिडियुल नं0 02 अर्जीनालिश पर खाली जमीन मय कंस्ट्रक्शन को खाली कराकर वादी का दखल कब्जा करा दिया जाए।

वादी के उपरोक्त संशोधन आवेदन पर प्रतिवादी के द्वारा नो ऑब्जेक्शन लिखा गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का

अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी दादरसी में संशोधन करने हेतु दाखिल किया हैं जो शपथ पत्र के साथ समर्थित है। वादी के संशोधन आवेदन पर प्रतिवादी के द्वारा नो ऑब्जेक्शन लिखा गया है। अतः वादी के संशोधन आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक.....को सुनवाई हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।